

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-17/2021

सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधीन, बेसिक ग्रेड के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के कुल-2632 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-1362, दिनांक-01.02.2021 से प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट— www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर दिनांक-04.05.2021 से 24.05.2021 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. **वेतन:**—अपुनरीक्षित वेतनमान रु०-9300 से 34800, पे-बैंड-2, ग्रेड पे०-5400, 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर-9(नौ) तथा समय-समय पर अनुमान्य भत्ते।

वैसे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिनको पूर्व से ही विशेषज्ञता प्राप्त हो, उनको नियुक्ति के समय 03 (तीन) वेतन वृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा। साथ ही सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त स्नातकोत्तर डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी जिन्हें क्रमशः तीन (03) वर्षों एवं पाँच (05) वर्षों का कार्यानुभव प्राप्त हो, को पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-XI (अपुनरीक्षित वेतनमान पी०बी०-03 ग्रेड पे०-6600/-) देय होगा।

अभ्यर्थी गैर व्यावसायिक भत्ता की मांग नहीं करेंगे।

3. रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटिवार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी एवं विज्ञापन संख्या निम्नलिखित रूप से है:—

| क्र० सं० | पदनाम | सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक एवं दिनांक | विज्ञापन सं० | पदों की कोटिवार विवरणी | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|--------------|---------|-------|---------------|------|---|
| | | | | अना० | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | अनु० जाति | अनु०जन० जाति | अ०पि०व० | पि०व० | पि०व०की महिला | कुल | स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी आरक्षित (2%) |
| i | सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी | 1362/दिनांक-01.02.2021 | 17/2021 | 840 | 206 | 545 | 24 | 670 | 313 | 34 | 2632 | 41 |
| | | | महिलाओं के लिए 35 % क्षैतिज आरक्षण | 288 | 62 | 124 | 07 | 138 | 82 | 00 | 701 | |

| क्र० सं० | दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित (4%) कुल पदों की संख्या | |
|----------|---|-------|
| i | दृष्टि दिव्यांगता | 21 पद |
| ii | मूक बधिर दिव्यांगता | 20 पद |
| iii | चलन दिव्यांगता | 20 पद |
| iv | मनोविकार दिव्यांगता | 21 पद |

4. **सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-**

(i) उम्मीदवार अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् (भारतीय चिकित्सा परिषद्, M.C.I) से मान्यता प्राप्त हो, से एम०बी०बी०एस० स्नातक या समकक्ष योग्यता की डिग्री धारित करते हों तथा जो बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट-1916 के अन्तर्गत स्थायी रूप से निबंधित रहें।

यदि विदेशी विश्वविद्यालयों से साढ़े 4 वर्षों का एम०बी०बी०एस० कोर्स एवं एक वर्ष का रोटेटिंग इन्टर्नशिप किया गया है तथा एम०सी०आई० द्वारा आयोजित एफ०एम०जी०ई० (F M G E Exam) परीक्षा पास

हो और यदि वह विदेशी विश्वविद्यालय एम०सी०आई० से मान्यता प्राप्त है तो उनके डिग्री को मान्यता दी जाएगी तथा वैसे अभ्यर्थी सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य माने जायेंगे।

- (ii) प्रशिक्षण एवं अनुभव- राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् (भारतीय चिकित्सा परिषद्) एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में 12 माह का इन्टर्नशीप प्रशिक्षण अनिवार्य है।

इन्टर्नशीप में एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए कारण चाहे जो भी हो।

5. पात्रता की अवधारणा:-

- (i) अभ्यर्थी राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् (MCI) अथवा किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन कॉन्सिल से स्थाई रूप से निबंधित होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् (MCI) अथवा राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से प्राप्त निबंधन प्रमाण-पत्र में सभी प्राप्त डिग्रियों की अद्यतन प्रविष्टि करा लें एवं उसकी छायाप्रति स्वअभिप्रेमाणित करके आवेदन के साथ अपलोड करें।
- (ii) अभ्यर्थी को अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।
- (iii) अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और बिहार स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अड़चन डाल सकने वाले शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए।

6. शर्त:- अभ्यर्थी निम्नलिखित कृत्य हेतु दोषी होंगे।

- (i) बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2019 के नियम-10 के निम्नवत नियमों का पालन किया जाना है:-

- (1) किसी भी तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या
- (2) प्रतिरूपण, या
- (3) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण कराना, या
- (4) जाली दस्तावेज या ऐसी दस्तावेज पेश करना जिसमें हेर-फेर किया गया हो, या
- (5) गलत या झूठा विवरण देना या महत्वपूर्ण जानकारी छिपा लेना या
- (6) भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनी पात्रता के संबंध में अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना।
- (7) भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुचित तरीकों को अपनाना।
- (8) भर्ती प्रक्रिया हेतु आयोग द्वारा नियोजित कर्मचारियों को तंग करना या शारीरिक आघात पहुँचाना।
- (9) यथा स्थिति, पूर्वगाही खंडों में विनिर्दिष्ट कोई एक या सभी कार्य करने का प्रयास करना या करने के लिए दुष्प्रेरित करना,

वह दांडिक अभियोजन का भागी होने के अतिरिक्त निम्नलिखित का भागी हो सकेगा:-

(क) जिन भर्ती प्रक्रिया का वह उम्मीदवार हो उसके लिए आयोग द्वारा निरर्हित ठहराये जाने, या

(ख) स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए:-

(i) आयोग द्वारा ली गई किसी भर्ती प्रक्रिया से या उसके द्वारा किए गए चयन से विवर्जित किए जाने।

(ii) राज्य सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से विवर्जित किए जाने का या,

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का।

7. आयु सीमा- दिनांक 01.08.2020 को :-

- (i) अनारक्षित (पुरुष) - 37 वर्ष
- (ii) अनारक्षित (महिला) - 40 वर्ष
- (iii) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष
- (iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में पाँच (5) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (vii) संविदा के आधार पर नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

8. सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के चयन की प्रक्रिया अन्तर्गत अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के लिए निम्नवत अंक प्रदान किये जायेंगे :-

- | | |
|---|---------|
| (i) एम0बी0बी0एस0 में प्राप्तांक के लिए | -60 अंक |
| (ii) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री यथा, डी0एम0/एम0सी0एच0 एवं समकक्ष डिग्री (भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो) के लिए | -15 अंक |
| (iii) सरकारी अस्पतालों में (सरकारी अस्पतालों से अभिप्राय अधोलिखित नोट-iv में दिये गये विवरणी से है।) नियमित/अनुबंध के आधार पर एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक द्वारा नियुक्ति के उपरांत प्राप्त कार्यानुभव के लिए संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष के दर से अधिकतम 25 अंको की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।) | -25 अंक |

कुल - 100 अंक

नोट:-(i) एम0बी0बी0एस0 के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किन्हीं अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है तो उन्हें $50 \times 0.6 = 30$ अंक दिये जायेंगे।

सामान्य कर्तव्य उप संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण के लिए न्यूनतम 30 अंक की अपेक्षा होगी।

(ii) विदेश से प्राप्त सभी डिग्रीधारकों के एम0बी0बी0एस0 प्राप्तांक की गणना 50 प्रतिशत पर की जानी है, बशर्ते कि उसका निबंधन एम0सी0आई0 से हो।

(iii) यदि विदेशी विश्वविद्यालयों से साढ़े 4 वर्षों का एम0बी0बी0एस0 कोर्स एवं एक वर्ष का रोटेटिंग इन्टर्नशिप किया गया है और यदि वह विदेशी विश्वविद्यालय एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त है तो उनके डिग्री को मान्यता दी जाएगी तथा वैसे अभ्यर्थी सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य माने जायेंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त एम0बी0बी0एस0 की डिग्री एवं रोटेटिंग इन्टर्नशिप के पश्चात् यदि तीन वर्ष का एम0डी0/एम0एस0/दो वर्षों का डिप्लोमा कोर्स किया गया है और यदि वह विदेशी विश्वविद्यालय एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त है तो उनके डिग्री को मान्यता दी जाएगी।

(iv) बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी भी गैर निजी अस्पतालों यथा केन्द्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य लोक संस्थानों सैनिक अस्पताल सहित में संविदा/नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सक/सिनियर रेजिडेंट/ट्यूटर/जूनियर रेजिडेंट को कार्य अनुभव के लिए अंक दिया जायेगा।

(v) कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

9. अभ्यर्थी, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक-04.05.2021 तक संविदा के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अवधि का संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे।

10. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-12535, दिनांक-17.09.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान के अनुरूप बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

11. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

(c) सां०प्र० विभाग के अधिसूचना संख्या-673, दिनांक-05.03.2011 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना अनिवार्य है।

(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र-(सामान्य प्रशासन विभाग की अधि० सं०-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में)

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकण आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि

| क्र०सं० | आरक्षित कोटि |
|---------|--------------------------|
| 1. | अनुसूचित जाति (SC) |
| 2. | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 3. | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) |
| 4. | पिछड़ा वर्ग (BC) |

| | |
|----|--------------------------------|
| 5. | पिछड़ा वर्ग की महिला (WBC) |
| 6. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) |

- (v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत शैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक -16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत रहने का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

12. **आवेदन शुल्क:-** Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् है:-

(i)

| क्र०सं० | उम्मीदवार की कोटि | निर्धारित आवेदन शुल्क |
|---------|---|-----------------------|
| 1 | सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | रु० 200/- |
| 2 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) | रु० 50/- |
| 3 | आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) | रु० 50/- |
| 4 | राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरुष हों। | रु० 200/- |

- (ii) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात् अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।
- (iii) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग या भारतीय स्टेट बैंक(एस. बी. आई) के ई-चलान के माध्यम से जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
- (v) अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेंगे।

- (vi) वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ

में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

13. **महत्वपूर्ण निर्देश:-** ऑनलाइन आवेदन-पत्र के विहित कॉलम में अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैं।
- (i) स्वअभिप्रमाणित एवं अंक पत्रों की प्रतियाँ क्रमवार अपलोड करें। शैक्षणिक योग्यता से सम्बंधित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंक -पत्र।
 - (ii) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिकुलेशन), निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र।
 - (iii) जिस महाविद्यालय से एम०बी०बी०एस० अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए हो वहाँ के प्रधान के द्वारा दिये गये चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र।
 - (iv) जहाँ से उनके द्वारा 12 माह का अनिवार्य इन्टर्नशिप-प्रशिक्षण पूरा किया गया हो उस संस्था के प्रधान का प्रमाण-पत्र।
 - (v) राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (भारतीय चिकित्सा परिषद्, M.C.I) अथवा किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन कॉन्सिल से स्थाई निबंधन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति। MBBS, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, MD-MS, DNB तथा DM-MCH, DNB (सुपरस्पेशलिटी) राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (MCI) अथवा राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से प्राप्त निबंधन मूल प्रमाण-पत्रों एवं अंक-पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (vi) आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे एवं इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (vii) अभ्यर्थी, सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल असिस्टेंट सर्जन) से अन्यून पंक्ति के किसी सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करेंगे।
14. कंडिका-8 के नोट (iv) के अन्तर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी भी गैर निजी अस्पतालो यथा केन्द्र सरकार, नगरपालिका, पंचयती राज संस्थानों एवं अन्य लोक संस्थानों सैनिक अस्पताल सहित संविदा/नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सक/सिनियर रेजिडेन्ट/जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में अस्पतालों में संविदा पर नियुक्त स्नातकोत्तर डिग्री धारक चिकित्सकों तथा एम०बी०बी०एस० डिग्री धारक चिकित्सकों को कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे।
15. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखा जायेगा। आयोग द्वारा काउंसलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों का इंक साईन कॉपी निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
16. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि दिनांक-24.05.2021 के पूर्व का होना आवश्यक है।

17. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र काउंसेलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
18. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
19. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in आयोग के परीक्षा पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
20. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
21. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं ऐसी त्रुटि से उत्पन्न कोई भी प्रतिकूल परिणाम के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
22. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
 - (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
 - (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
 - (vii) **फोटोग्राफ:-**(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए।(तीन माह के अंदर का)
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
(ग) बैंकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए।
 - (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।
- (x) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच के अवधि में अधियाची विभाग द्वारा/राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निदेशों के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

नोट:—1. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-580(2) दिनांक-27/04/2021 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग से अंतिम सूचना प्राप्त होने के पश्चात वास्तविक रिक्ति की सूचना अलग से प्रकाशित कर दी जायेगी।

2. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

प्र. 28/04/2021.
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।